

# **प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 04.01.2026**

## **कूटरचित् दस्तावेज के द्वारा धोखाधड़ी कर पैसा लेने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में उनि० राम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 842/2025 धारा 319(2),318(4),338,340(2),61(2),351(3),336(3) भा०न्या०सं० से संबंधित वांछित अभियुक्त वैभव मणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **घटना का संक्षिप्त विवरण-**

अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को कानपुर व गोरखपुर F-Bar By Fashion T.V की फ्रेंचायजी दिलाने हेतु पैसा लेने व बाद में वादिनी के पति का कूटरचित् हस्ताक्षर कर अनुबंध पत्र तैयार कर लिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

वैभव मणि त्रिपाठी पुत्र नरेन्द्र मणि त्रिपाठी निवासी 43 रीड साहब का धर्मशाला बेतीयाहाता थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-**

मु०अ०सं०-0842/2025 धारा-319(2),318(4),338,340(2),61(2),351(3),336(3) भा०न्या०सं० थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तारी की टीम-**

- उनि० राम सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
- उनि० सुनील शर्मा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
- म०का० कात्यानी उपाध्याय थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर